न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर जिला जालोर

(पीठासीन अधिकारी श्री मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.)

मुकदमा नंम्बरः– **01/16** दायरा दिनांक 12.01.2016

प्रार्थीगण

1. बाबुराम पुत्र धुड़ाराम विश्नोई निवासी धमाणा तहसील सांचोर जिला जालोर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी)
2. ठाकराराम पुत्र धूड़ाराम जाति विश्नोई निवासीगण धमाणा तहसील सांचोर जिला जालोर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः:–

1. श्री जालाराम पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री गोरधनराम विश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
3. नायब तहसीलदार सांचोर।

निर्णय **दिनांक** 22.2.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपाठित धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 04.02.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि ग्राम – धमाणा, पटवार हल्का धमाणा के खेत खसरा नम्बर 1102/1677 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.03 हैक्टर व खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 1137 रकबा 0.71 हैक्टर में किस्तवार तरमीम अनुसार तहसीलदार सांचौर पेमाईश करवाकर स्थाई नेखमबंदी नियमानुसार की जावें। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहरीर तहसीलदार सांचौर को जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त निणर्य के विरूद्ध श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय डिवीजनल कमीशनर जोधपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2016 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी सांचोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि वे अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा पूर्व दिनांक 24.06.2006 को दोनो पक्षों की मौजूदगी में की गई पैमाईश रिर्पोट को मध्य नजर रखते 1 माह की अवधि में पुनः उचित आदेश पारित करने के आदेश प्रदान किये गये।

प्रार्थी बाबूराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। अपीलान्ट ठाकराराम विश्नोई निवासी धमाणा को नोटिस जारी किये गये।

तहसीलदार सांचोर के नेतृत्व में नायब तहसीलदार सांचोर, संबंधित भू– अभिलेख निरीक्षक, एवं हल्का पटवारी की टीम गठीत कर सीमा ज्ञान कराने एवं मौका की स्थिति की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए। तहसीलदार सांचोर द्वार मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील अप्रार्थी ने दोबारा मौका जांच रिपोर्ट कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। मौका स्थिति की रिर्पोट अनुसार अप्रार्थी मौके पर हाजिर था। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। तथा मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का खातेदार है। खातेदार को अपने खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य भूमि का विवाद है। तथा इसके लिए अलग से वाद पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। पैरोकार राज ने राज्य हित निहित न होना बताया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रार्थी ग्राम धमाणा के खसरा नम्बर 1102/1677, 1103, 1104, 1137 का

उपखण्ड अधिकारी–सांचोर जिला जालोर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

खातेदार है। खातेदार काश्तकार को पत्थरगढी करवाने का अधिकार होता है। मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है। पक्षकारों के मध्य अधिकारों की घोषणा या कब्जे संबंधी विवाद है तो उसके लिए अलग से कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचोर को सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.12.2017 के अनुसार ग्राम – धमाणा, पटवार हल्का धमाणा के खेत खसरा नम्बर 1102/1677 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.03 हैक्टर व खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.20 हैक्टर खसरा नम्बर 1137 रकबा 0.71 हैक्टर की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगें।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

22-2-18

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी–सांचोर
जिला जालोर (राज0)